

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 06.12.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में निम्न 04 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
प्रताप पुत्र सेणा	के.का. उदयपुर	1505/2023	07.11.2023	08.11.2023
धर्मराम पुत्र जीवणराम	के.का. बीकानेर	1671/2021	06.11.2023	08.11.2023
दिनेश पुत्र प्रभुलाल	के.का. जोधपुर	1743/2023	07.11.2023	08.11.2023
प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव	के.का. अजमेर	1506/2023	07.11.2023	22.11.2023

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. प्रताप पुत्र सेणा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 56/2014 अंतर्गत धारा 302, 394, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 04.03.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 10 वर्ष 09 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1505/2023 में दिनांक 07.11.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

अपर सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2017 में बन्दी को दोषसिद्ध मानते हुये अंकित किया है कि अभियुक्त द्वारा 72-75 वर्षीय वृद्धा मृतका प्रतापीबाई उर्फ पत्तुबाई को खेत जैसी सुनसान जगह पर उसकी चांदी की कड़ियें एवं सोने के मादलिये लूटने के आशय से दांतली एवं छुरी से उसके गले पर धारदार हथियार से घोर उपहति कारित कर एवं उसके टखनों के नीचे से दोनों पांव को पूरी तरह से काट कर अलग कर उसके गले से पहने हुये सोने के मादलिये एवं पांव में पहनी हुयी चांदी की कड़ियों को लूटकर ले जाने के आशय से नृशंस एवं क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या की गयी है।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रूर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समाज हेतु खतरा बन सकने वाले तत्वों को खुला शिविर में भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः बन्दी द्वारा उक्त अमानवीय कृत्य किये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी प्रताप पुत्र सेणा को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. धर्माराम पुत्र जीवणराम, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 05 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी के विरुद्ध 01 अन्य प्रकरण

विचाराधीन होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 1671/2023 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2023 को निर्णय पारित कर बन्दी को खुला बन्दी शिविर में भिजवाये जाने के प्रार्थना-पत्र पर 04 सप्ताह में पुनर्विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी के विरुद्ध एक अन्य प्रकरण ए.डी.जे. श्रीडूंगरगढ में प्रकरण संख्या 423/2023 अन्तर्गत धारा 450, 323, 506, 376(आई) आई.पी.सी. विचाराधीन है।

It is stated in the preamble of the Rajasthan Prisoner Open Camp Rules, 1972 that - Whereas it is proposed to make rules for sending **convicted prisoners** to open air camps with a view to encourage good conduct, satisfactory performance of work and self-disciplined life among the convicts of Rajasthan, And to provide pre-release to these convicted criminals, It is necessary to make rules to provide them opportunities to teach social adjustment and economic self-reliance.

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत केवल दण्डित बंदियों को खुला बन्दी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है जबकि बन्दी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बन्दी धर्मराम पुत्र जीवणराम को खुला बन्दी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. दिनेश पुत्र प्रभुलाल, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर :-

बन्दी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 10 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी के विरुद्ध 02 अन्य प्रकरण विचाराधीन होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 1743/2023 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को निर्णय पारित कर बन्दी को खुला बन्दी शिविर में भिजवाये जाने के प्रार्थना-पत्र पर पुनर्विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी के विरुद्ध 02 अन्य प्रकरण विचाराधीन है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. ए.सी.जे.एम. सोजतसिटी, पाली में प्रकरण संख्या 468/2014 अन्तर्गत धारा 323, 34, 452, आई.पी.सी.।
2. ए.सी.जे.एम. संख्या-6, जोधपुर में प्रकरण संख्या 456/2018 अन्तर्गत धारा 332, 353 आई.पी.सी. (जमानत पर)।

It is stated in the preamble of the Rajasthan Prisoner Open Camp Rules, 1972 that - Whereas it is proposed to make rules for sending **convicted prisoners** to open air camps with a view to encourage good conduct, satisfactory performance of work and self-disciplined life among the convicts of Rajasthan, And to provide pre-release to these convicted criminals, It is necessary to make rules to provide them opportunities to teach social adjustment and economic self-reliance.

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है जबकि बंदी अन्य 02 प्रकरण में विचाराधीन (01 में जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी दिनेश पुत्र प्रभुलाल को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने एवं 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 1506/2023 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को निर्णय पारित कर बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने के प्रार्थना-पत्र पर 04 सप्ताह में पुर्नविचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

श्रीमती संतोष उर्फ पप्पूडी व उसका पुत्र बाबूलाल उम्र 19 वर्ष दिनांक 08.04.2014 को घर पर थे जिनकी प्रदीप व उसके अन्य साथियों ने अमान्य तरीके से हत्या कर दी। संतोष उर्फ पप्पूडी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी जिसका गला तौलिये से घोटा हुआ था और कमरे में उसका पुत्र बाबूलाल खून से लथपथ होकर मृत अवस्था में पड़ा था। तीनों कमरों

में सामान बिखरा पड़ा था। इस प्रकार बन्दी ने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर दोनों की निर्मम हत्या की व सामान लूटकर ले गये। अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-1 परबतसर जिला नागौर ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रूर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बन्दी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समाज हेतु खतरा बन सकने वाले तत्वों को खुला शिविर में भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

बन्दी के विरुद्ध एक अन्य प्रकरण विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, मेडतासिटी में प्रकरण संख्या 32/2008 अन्तर्गत धारा 302 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

It is stated in the preamble of the Rajasthan Prisoner Open Camp Rules, 1972 that - Whereas it is proposed to make rules for sending **convicted prisoners** to open air camps with a view to encourage good conduct, satisfactory performance of work and self-disciplined life among the convicts of Rajasthan, And to provide pre-release to these convicted criminals, It is necessary to make rules to provide them opportunities to teach social adjustment and economic self-reliance.

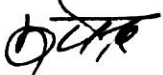
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत केवल दण्डित बंदियों को खुला बन्दी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है जबकि बन्दी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बन्दी प्रदीप पुत्र भंवरलाल वैष्णव को खुला बन्दी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।


सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग,
जयपुर।


सदस्य सचिव
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान
जयपुर।